उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-76/2019/1097/92-2-2019-04सूचना/2017,
लखनऊ :: दिनांक:: 22 मई 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद बलरामपुर में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा सम्पर्क मार्ग श्रीदत्त गंज गोमडी से चवई खुर्द तक लिंक मार्ग के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग उ0प्र0 शासन, लखनऊ की जॉच आख्या दिनांक 31-03-2017 व 26-04-2017 में संभावित शासकीय क्षति की धनराशि रू0 7,48,672.00 के लिये प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-93/2017/961/92-2-2017-04सूचना/2017, दिनांक 19.06.2017 द्वारा श्री अनिल कुमार सक्सेना, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। चूंकि इनके द्वारा ही प्रकरण में मुख्य प्राविधिक परीक्षक के रूप में प्रारम्भिक जांच (टी0ए0सी0 जांच) की गयी थी। अत: सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-196/ 2017/2047/92-2-17-04सूचना/2017 दिनांक 03-11-2017 द्वारा प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ के स्थान पर अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-कानपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-17/2018/187/92-2-18-04 सूचना /2017 दि0 25-01-2018 द्वारा श्री सक्सेना को इस शर्त के साथ सेवा में बहाल किया गया कि उनके विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत चलती रहेगी।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-कानपुर के पत्र सं0-1526/ ग्रा0अ0वि0/आ0लि0/अनु0जांच-बलरामपुर/17-18 दि0 11-12-2017 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी, श्री सक्सेना पर अधिरोपित कुल 02 आरोपों में से आरोप सं0-1 सिद्ध नही पाया गया तथा आरोप सं0-2 आंशिक रूप से सिद्ध पाये जाने पर शासन के पत्र सं0-3094/92-2-18-04सूचना/18 दिनांक 07-12-2018 द्वारा श्री सक्सेना का लिखित अभ्यावेदन मांगा गया। श्री सक्सेना के पत्र सं0-1136/ग्रा0अ0वि0/अनु0जां0/अभ्यावेदन/बहराइच/18-19 दिनांक 24-12-2018 द्वारा बचाव उत्तर उपलब्ध कराया गया। सम्यक परीक्षणोपरान्त शासन के पत्र सं0-16/92-2-19-04सूचना/17 दिनांक 15-02-2019 द्वारा जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, परि0- कानपुर से श्री सक्सेना पर अधिरोपित आरोप सं0-2 के संबंध में पुन: आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

4- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता परि0-कानपुर के पत्र सं0--3259/ग्रा0अ0वि0/ एस0टी0/अनु0 जांच-श्री अनिल कुमार/अधि0अभि0/18-19 दि0 14-03-2019 द्वारा पुन: जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। सम्यक विचारोपरान्त टी0ए0सी0 जांच में संभावित शासकीय क्षति रू0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7,48,672.00 के लिये उततरदायी बताये जाने के उपरान्त भी श्री सक्सेना को दोष मुक्त किये जाने, श्री सक्सेना के बचाव उत्तर के आधार पर पूर्व तैनात अधिशासी अभियंता, श्री मंजूर अहमद के उत्तरदायित्व के संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी न किये जाने व टी0ए0सी0 जॉच आख्या की विस्तृत विवेचना न किये जाने के दृष्टिगत उक्त जॉच आख्या संदिग्ध/सतही पायी गयी। अतएव जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-कानपुर की जांच आख्या के निष्कर्ष को अस्वीकार करते हुये प्रकरण की पुर्नजांच हेतु मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

5- जांच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या (02 प्रतियों में) निर्धारित समयावधि में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफतेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव

संख्या-76/2019/1097(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को शासन के पत्र सं0-1432/दि0 03-11-2017 द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र, जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, परि0-कानपुर की जांच आख्या दि0 11-12-2017 व 14-03-2019, श्री अनिल कुमार सक्सेना का अभ्यावेदन दि0 24-12-2018 व अन्य संगत अभिलेखों की छायाप्रतियॉ **संलग्नकर** इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में विस्तृत विवेचना करते हुये नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या शासन को दि0 31-05-2019 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- पूर्व जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0 परि0-कानपुर।

4- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर।

5- श्री अनिल कुमार सक्सेना, तत्का0 अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर सम्प्रति प्रखण्ड-बहराइच द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

6- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in